बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक 16-01-2026

संचिका संख्या–07/मु0–01–288/2025....201...../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिका सं0–11649/2025 नीलम संजीव नीलम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.07.2025 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. याचिका सं0–11649/2025 में दिनांक–22.07.2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"... Learned Counsel for the petitioner submits that the petitioner is suffering from cancer disease. After his posting to Araria district, the petitioner filed a representation before the Additional Chief Secretary, Education Department, Government of Bihar for his posting in his home district and home block since the present place of posting is 300 kms. away from his house.

6. Accordingly, the submission is that the representation of the petitioner may be considered on the basis of the circular/guidelines regarding transfer/posting by the Authorities and keeping in view that the petitioner is suffering from cancer and his place of posting is 300 kms. Away from his house.

7. Learned Counsel for the State submits that the petitioner, if so desire, may file a fresh representation along with the necessary documents and the circular/guidelines of the Government before the Additional Chief Secretary, Education Department, Government of Bihar, which shall be decided in accordance with law.

8. Considering the rival submissions advanced on behalf of the parties and taking into consideration the nature of prayer made in the writ application, the same is disposed with liberty to the petitioner to file a fresh representation along with all the documents before the Additional Chief Secretary, Education Department, Government of Bihar, within a period of two weeks from today.

9. If such a representation is filed, the Additional Chief Secretary, Education Department, Government of Bihar, is directed to dispose the same in accordance with law expeditiously taking into account the guidelines/circular of the State Government and the fact that the petitioner is suffering from cancer as soon as possible preferably within a period of one month from the date of filing of the fresh representation along with a copy of this order..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–3821 दिनांक–21.10.2025 द्वारा दिनांक–24.10.2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई के क्रम में वस्तुस्थिति रखने का अवसर दिया गया। सुनवाई में याचिकाकर्त्ता उपस्थित हुए एवं उनके तथ्यों को विस्तार पूर्वक सुना गया।

4. याचिकाकर्त्ता का कथन है कि प्रधान शिक्षक जिनका पदस्थापन ऑनलाइन के माध्यम से जिला आवंटन किया गया है वे मेरिट–कम–चॉइस के आधार पर नहीं किया गया है। उनका पदस्थापन उनके घर से 305 किलोमीटर दूर अररिया जिला आवंटित किया गया है जबकी वे कैंसर रोग से पीड़ित है। उक्त के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण उन्हें प्राथमिक विद्यालय पकड़ी असली प्रखण्ड साहेबगंज, जिला–मुजफ्फरपुर में पदस्थापित करने की कृपा की जाय। ताकि वह अपने परिवार एवं माता–पिता का देख–भाल सही तरीके से कर सकें।

5. विभागीय आदेश संख्या–973 दिनांक–03.04.2025 द्वारा प्रधान शिक्षको में सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन पर विचार करने हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–896 दिनांक–26.03.2025 द्वारा गठित समिति की बैठक में कागजात/दस्तावेज सही पाये जाने वाले कुल 35333 सफल अभ्यर्थियों के जिला आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने पर विचार किया गया। विचारोपरांत समिति द्वारा उक्त सफल अभ्यार्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 32688 अभ्यर्थियों को उनके विकल्प (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के अनुरूप जिला आवंटित की गई। पुनः विभागीय आदेश ज्ञापांक–1824 दिनांक–01.07.2025 द्वारा आदेश ज्ञापांक–973 दिनांक–03.04.2025 को निरस्त करते हुए नये सिरे से जिला आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

6. उक्त के क्रम में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1837 दिनांक–01.07.2025 द्वारा उक्त सफल अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 35334 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किया गया। जिसमें श्री नीलम संजीव नीलम को अररिया जिला आवंटित हुआ। उक्त के विरूद्ध श्री नीलम द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका संख्या–11649/2025 दायर किया गया।

7. विभागीय पत्रांक–3253 दिनांक–29.08.2025 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रधान शिक्षक के पद हेतु अनुशंसित एवं सफलतापूर्वक काउन्सिलिंग पूर्ण कराने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने विद्यालयों में योगदान नहीं किया है, से ई–शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से दिनांक–01.09.2025 से 10.09.2025 तक पुनः तीन–तीन जिला का विकल्प प्राप्त किया जाय। साथ ही ऐसे प्रधान शिक्षक, जिन्होंने विद्यालय में योगदान कर लिया है एवं वे पदस्थापन के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत की दर्ज कराना चाहते हैं तो वे ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से दिनांक–01.09.2025 से 10.09.2025 तक अपना Grievance दर्ज कर सकते हैं।

8. दिनांक–10.09.2025 को अपराह्न 4:00 बजें अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही में याचिका संख्या–11252/2025 प्रीती कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–30.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्णय लिया गया है। संबंधित याचिका में आदेश पारित है कि:–

"...In view of the aforesaid, this Court directs the Additional Chief Secretary, Education Department, Government of Bihar, Patna to convene a meeting with the Director, Secondary Education as well as the Director, Primary Education to frame a model for redressal of grievance of allocation of near by district after inviting objection, preferably within a period of four weeks from the date of receipt/production of a copy of this order..."

उपरोक्त वर्णित स्थिति में ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर श्री नीलम संजीव नीलम द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 के माध्यम से दिनांक–01.09.2025 से 10.09.2025 तक दर्ज Grievance के आधार पर यदि संबंधित प्रमण्डलों/जिलों में रिक्तियाँ उपलब्ध हो तो याचिकाकर्त्ता द्वारा दिये गये विकल्प तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा जारी मेघा क्रमांक के आलोक में प्रमण्डल/जिला एवं विद्यालय का आवंटन किया जायेगा।

इस अभिमत के साथ उक्त वाद को निष्पादित किया जाता है।

15.1.2026

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः—07 / मु0—01—288 / 2025 .....201..... पटना, दिनांकः— 16-01-2026

प्रतिलिपिः— 1. Nilam Sanjiv Nilam S/o- Jagarnath Prasad Yadav, Resident of Village- Karnaul Chaturbhuj, P.S.-Sahebganj, District- Muzaffarpur. को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3. श्री रवि शंकर सिंह, अपर राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.1.2026

अपर मुख्य सचिव